न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5586/2004/बांसवाड़ा

1— कालिया पिता माला भील (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1 श्रीमती बदुड़ी बेवा कानजी
1/2 सोमा पिता कानजी भील अवयस्क संरक्षिका माता बदुडी
1/3 नन्नु पिता कानजी भील अवयस्क संरक्षिका माता श्रीमती बदुड़ी बेवा कानजी भील।
2— धनजी पिता कालिया भील
3— जोरजी पिता कालिया भील
4— राम लाल पिता कालिया भील
समस्त निवासी टाण्डा रतना मजरा सन्दलाई बडी, तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा।

.......अपीलार्थीगण

बनाम

1— नाथुडा पिता मंगला भील (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1 वालजी पिता नाथुडा भील
1/2 रूपजी पिता नाथुला भील
2— मल्लु पुत्र खातुडा भील (मृतक) जरिये वारिसानः—
2/1 सोमली बेवा खातुडा (तर्क)
3— रावजी पिता मंगला भील (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/1 मथुरी बेवा रावजी (तर्क)
प्र 3/2 लालजी पिता रावजी भील
समस्त निवासी टाण्डा रतना मजरा सन्दलाई बडी, तहसील व जिला कुशलगढ।

.............प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ

श्री आर.डी.मीणा, सदस्य

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :—

श्री एस.के.शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री मुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय **दिनांक 28—10—24**

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—08—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण / रेस्पो0 द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 88 न्यायालय उपखंड अधिकारी, कुशलगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाता संख्या 139 रकबा 44 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम टाण्डा रतना मजरा सन्दलाई बडी में स्थित है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर है और दोनों ही मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः विवादित आराजी का बंटवारा कर उन्हें 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 29—9—01 द्वारा खसरा नंबर 718, 724 व 731 के संबंध में वादी का वाद डिक्री कर दिया तथा खसरा नंबर 723, 730, 732, 736, 739, 914, 917, 952, 958, 733, 741, 915, 916, 1318 / 734 एवं 1326 / 909 बाबत् वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर, कैंप बांसवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20—08—04 द्वारा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। प्रकरण पूर्व में अपीलीय न्यायालय द्वारा दो बिन्दु निर्धारित करते हुए विचारण न्यायालय को निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का

समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के संबंध में न तो अवलोकन किया, न ही किसी प्रकार का आदेश दिया गया। वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति थी, जिसमें मंगला और माला बराबर के सह हिस्सेदार थे। जिस संबंध में नामांतरकरण संख्या 17 पेश किया गया था, जिसमें यह भूमि शामलाती होना अंकित था। मंगला व माला के वारिसान के बराबर हिस्से दिए गए। 22 वर्ष पश्चात वादग्रस्त भूमि को मंगला की संपत्ति मानने में भारी भूल की है। वादी का संपूर्ण वाद विभाजन, डिक्री किए जाने योग्य था। खाता संख्या 139 की समस्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमि मानते हुए गिरवी रखकर ऋण लिया गया था, जिस गिरवीनामे पर रेस्पो0 के भी हस्ताक्षर थे। ऐसी स्थिति में शामलाती भूमि नहीं माने जाने के लिए रेस्पो0 धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ऐस्टोपल के सिद्धांत से बाधित थे। रियासत के रिवाजों अनुसार मंगला बडा भाई होने के नाते उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा समस्त वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं करने में विधिक त्रुटि की है। मंगला की नाम की प्रविष्टी उस संपूर्ण खाते की खातेदारी कृषि भूमि बाबत नहीं मानी जा सकती थी। 3 खसरा नंबर पर प्रतिवादी/रेस्पो0 ने स्वीकृत कब्जा अपीलार्थी को दिया है। प्रतिवादी ने तीन खेतों का बंटवारा होना स्वीकार किया है, जिससे वह बाध्य है। चूंकि समस्त आराजी पैतृक थी, ऐसी स्थिति में समस्त भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण समुचित रूप से नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी प्रथम अपील विचारण न्यायालय के निर्णय के आधार पर निर्णीत की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर वादी को संपूर्ण आराजी में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाए।

4— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। कुल रकबा 44 बीघा 14 बिस्वा था। मंगला के मरने के बाद

खसरा नंबर 718, 724 व 731 के 1/2 हिस्से पर काश्त हेतु इजाजत दी थी। मंगला व माला भाई है ,किन्तु आराजी पैतृक नहीं थी, फिर भी मंगला के मरने पर वादी ने 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण विवेचन उपरांत निर्णय पारित किया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इसका समर्थन करते हुए अपीलार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया है। इस प्रकार दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसमें अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

5— उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 88 न्यायालय उपखंड अधिकारी, कुशलगढ के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर बंटवारा एवं उन्हें 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया, जो दिनांक 09—02—1981 को खारिज होने से प्रथम अपील न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर में प्रस्तुत होने पर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया, जिस पर आराजी खसरा नंबर 718, 724, व 731 में बहिस्सा बराबर विभाजन करते हुए शेष नंबरों के संदर्भ में वादी का वाद खारिज कर दिया। इसकी अपील कालिया के वारिसान द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के यहां प्रस्तुत करने पर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया गया। निर्देशों की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 718, 724, व 731 के लिए वाद डिक्री कर दिया एवं शेष खसरा नंबर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने एवं बैंक ऋण चुकाने के बाद खाता पृथक—पृथक करने का आदेश दिया। जिसकी अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि जिस पक्षकार के पास बैंक ऋण से खरीदे गए साधन होना प्रमाणित होता हो, उसके हिस्से पर ही बैंक की रहन का इन्द्राज किया जावे और दूसरे पक्षकारों के हिस्से को बैंक

ऋण के इन्द्राजात से मुक्त रखा जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में नायब तहसीलदार सज्जनगढ की रिपोर्ट दिनांक 06–09–01 जिसके अनुसार बिजली का वॉटर पंप सेट वादी कालिया के घर पाया गया, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने बैंक ऋण का रहन वादी के पक्ष में घोषित खातेदारी खेत खसरा नंबर 718, 724, व 731 पर किए जाने का आदेश दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से माना कि वास्तव में ऋण कालिया के वारिसानों द्वारा लिया गया और चूंकि उस समय राजस्व अभिलेखों में भूमि शामिलात दर्ज थी, अतः प्रतिवादीगण ने भी हस्ताक्षर किए थे। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि प्रतिवादीगण ने समस्त विवादित भूमि के 1/2 हिस्से को वादी की होना स्वीकार किया। प्रतिवादी ने आराजी नंबर 724 के संपूर्ण हिस्से एवं आराजी नंबर 718 व 731 के 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा बताया है, किन्तु विचारण न्यायालय ने अपने विवेचन में उक्त तीनों खसरा नंबरों पर वादी का कब्जा मानते हुए उसे खातेदार काश्तकार माना है।

7– अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः प्रतिप्रेषित प्रकरण में मात्र ऋण चुकाने एवं कृषि साधन किस पक्ष के पास होने, के बिन्दु का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना था तथा विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा ऋण से प्राप्त कृषि साधन बाबत् किसी प्रकार की साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नायब तहसीलदार सज्जनगढ की रिपोर्ट दिनांक 06–09–01 अनुसार बिजली का वॉटर पंप सेट वादी कालिया के घर पाये जाने बैंक ऋण का रहन वादी के पक्ष में घोषित खातेदारी खेत खसरा नंबर 718, 724, व 731 पर किए जाने का आदेश दिया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय का विस्तृत विवेचन से समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा अपना निर्णय दिनांक 28–09–01 पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20–08–04 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में कोई विधि या तथ्य संबंधी भूल कारित नहीं की है।

दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें उपर्युक्त विवेचनानुसार ऐसी कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि प्रकट नहीं होती हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(आर.डी.मीणा)
सदस्य